'खिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं कौशल विकास के संबंध में दिनांक–04.01.2019 को तारामंडल, पटना मे निदेशक की अध्यक्षता मे आहुत बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति संलग्न
2. बैठक की कार्यावली एवं अनुशंसा

कम सं0	कार्यावली	बैठक की अनुशंसा
1	विभाग स्तर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के संबंध मे की गई कार्रवाई से अवगत कराना यथाः– • भवनादि से संबंधित • कंप्युटर, प्रिंटर से संबंधित • ईंटरनेट / वाई–फाई से संबंधित • पुस्तकालय संबंधित	निदेशक द्वारा भवनादि, कंप्युटर–प्रिंटर, ईंटरनेट / वाई–फाई एवं पुस्तकालय के संबंध मे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से सभी संस्थानों को अवगत कराया गया।
2	शिक्षक–छात्र अनुपात के संबंध मे स्थिति स्पष्ट किया जाना।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान हेतु निर्धारित अनुपात कमशः 1:20 एवं 1:25 के आलोक मे संस्थान हेतु स्वीकृत प्रवेश–क्षमता तथा जितने वर्षों के लिए नामांकन हुआ है उसके आधार पर गणना की जाए। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक भी पूर्णकालिक हैं। अतः संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को भी कुल शिक्षकों की गणना मे सम्मिलित किया जाए।
3	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन संस्थान स्तर पर किये जाने किये जाने वाले बिंदुओं के अनुपालन की संस्थानवार समीक्षा।	संस्थान स्तर पर अपेक्षित मापदंडों (अनु0:1) के अनुपालन हेतुः– ➢ संस्थानों को National Digital Library, Massive Open Online Courses(MOOCS), e-Granthalay मे संस्थान तथा शिक्षकों एवं छात्रों का निबंधन किये जाने हेतु जानकारी उपलब्ध करायी गई। प्राचार्यों द्वारा उक्त कार्य को 2–3 दिनों के अंदर पूरा कर लिये जाने का समय निर्धारित किया गया। ➢ e-Granthalay की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु प्राचार्यों द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया।

-25-

		➢ संयुक्त निदे0 (त0) द्वारा प्राचार्यों को e-Grantha y के संबंध मे विस्तृत जरनकारी उपलब्ध करायी गई एवं एय भी बताया गया कि यदि फिर भी कठिनाई हो तो कार्यशाला आयोजित किये जाने का प्रस्ताव प्राचार्य, रा0 पो0 पटना–13 को कार्यवाही की प्रति उपल्बध होने के दो दिनो के अंदर भेज दिया जाय जिसके आधार पर रा0 पो0 पटना–13 के सेमिनार हॉल मे एक दिवसीय कार्यालय आयोजित की जायेगी। ➢ छात्रों के बीमा कराये जाने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निदेशक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह राशि छात्रों से ही ली जाए चूकि दुर्घटना घटने की स्थिति मे बीमा से प्राप्त राशि का लाभ छात्रों को ही प्राप्त होगा। ➢ Medical and Counselling, Placement Cell, Institute-Industry Cell आदि के व्यय के लिए निदेशक द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा मॉग की गई आवश्यक राशि को विभाग द्वारा संस्थान को कार्यालय मद मे उपलब्ध कराया जायेगा।
4	प्राचार्यों द्वारा संस्थान की मान्यता के संबंध मे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आहुत बैठक मे स्वयं भाग लिये जाने एवं परिषद के किसी समिति द्वारा की गई पतिकूल अनुशंसा के विरुद्ध ससमय अपील किया जाना।	**निदेशक द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि** संस्थान की मान्यता के संबंध मे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आहुत बैठक मे प्राचार्य स्वयं परिषद् द्वारा अपेक्षित एवं अनुमोदन पुस्तिका मे वर्णित सभी कागजातों एवं अभिलेखों के साथ भाग लें तथा परिषद के किसी समिति द्वारा की गई प्रतिकूल अनुशंसा के विरुद्ध ससमय अपील किया जाना एवं संस्थान स्तर पर अपेक्षित मापदंडों को सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन नही किये जाने की स्थिति मे संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
5	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदंडों को विभाग स्तर पर पूरा किये जाने हेतु पूर्ण विस्तृत –प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया जाना।	निदेशक द्वारा प्राचार्यों को निदेश दिया गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदंडों को विभाग स्तर पर पूरा किये जाने हेतु पूर्ण विस्तृत –प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया जाये।
6	सत्र 2019–20 मे अवधि विस्तार हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के लिए सभी	निदेशक द्वारा प्राचार्यो को निदेश दिया गया कि सत्र 2019–20 मे अवधि विस्तार हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करते हुए ऑन लाईन प्रविष्टि सावधानीपूर्वक किया जाये ताकि अनावश्यक रुप से किसी तरह की त्रुटि या कमी नही रहें।

	आवश्यक तैयारी किये जाने के संबंध मे।	
7	• कौशल प्रशिक्षण (डोमेन स्कील) का प्रतिवेदन • कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र के निबंधन का प्रतिवेदन	➢ बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर पंजीकृत 30 संस्थानों में से मात्र 15 संस्थानों के द्वारा डोमेन स्कील में कौशल प्रशिक्षण चलाया गया है। ➢ निदेशक द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत सभी संस्थानों के प्राचार्य को बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत डोमेन स्कील चलाने का निदेश दिया गया है। ➢ बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कुल 43 संस्थानों को KYP के पंजीकरण हेतु Special Login प्राप्त हुआ है जिसमें से 16 संस्थानों द्वारा पंजीकरण की प्रक्रियाएँ पूर्ण कर लिया गया है। ➢ जिन संस्थानों को KYP के पंजीकरण हेतु Special Login प्राप्त हुआ है उन्हें पंजीकरण की सभी प्रक्रियाएँ अतिशीघ्र पूर्ण कर प्रशिक्षण आरंभ करने का निदेश दिया गया है। ➢ संस्थानों में KYP एवं डोमेन स्कील के सुचारू रूप से संचालन हेतु **22 जनवरी 2019** को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
	अन्यान्य	
8.	NITTTR Bhopal में Induction Programme हेतु पंजीकरण का प्रतिवेदन	राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लगभग 300 नवनियुक्त व्याख्याताओं द्वारा NITTTR Bhopal के वेबसाइट पर पंजीकरण कर लिया गया है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु व्याख्याताओं को संस्थान स्तर से ही विरमित करने का निदेश विभागीय पत्रांक 3341 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा दे दिया गया है। अतिरिक्त / पृथक विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं है।

04.01.19	04.01.19	4.1.19	4.1.19	4.1.19	04.01.19	04.01.19
(श्वेता कुमारी) सहायक निदेशक (वि०)	(संतोष कुमार राय) सहायक निदेशक (त०)	(अफरोज अफजल) विशेष कार्य पदाधिकारी	(अनन्त कुमार) संयुक्त निदेशक (वि०)	(चन्द्रशेखर सिंह) संयुक्त निदेशक (त०)	(कुमार सुरेन्द्र) उप निदेशक (यो०)	(अतुल सिन्हा) निदेशक

ज्ञापांक :- वि०प्रा० (VI) AICTE-01/18/ 217 पटना दि० 18-1-2019
प्रतिलिपि :- उप नि० (यो०)/ संयुक्त नि० (त०)/ संयुक्त नि० (वि०)/

वि०का० पदा०/ सहा० निदे० (त०)/ सहा० निदे० (वि०)/ सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्य / निदेशक के आप्तसचिव को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

17-01-19

निदेशक